

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।
संख्या-एम0ई0-3/पीजी-2024/1368

लखनऊ:दिनांक 10 जुलाई, 2024

यू0पी0 नीट एम0डी0एस0-2024 की काउन्सिलिंग हेतु जारी महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश के संशोधन के संबंध में आवश्यक सूचना

यू0पी0 नीट-एम0डी0एस0 2024 की प्रथम चक्र की ऑनलाइन काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस कार्यालय के पत्र संख्या-एम0ई0-3/पीजी-2024/1318 दिनांक 04 जुलाई 2024 के बिन्दु 10 में निम्नांकित सूचना प्रसारित की गयी थी:-

- ❖ ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग के पश्चात् च्वाइस लॉक करना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में समय-सारिणी में निर्धारित समयावधि के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी च्वाइस स्वतः लॉक हो जायेगी।

उक्त बिन्दु पर उल्लिखित सूचना/निर्देश के स्थान निम्नांकित सूचना/निर्देश पढ़ा जाए:-

- ❖ ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग के पश्चात् च्वाइस लॉक करना अनिवार्य है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी च्वाइस यदि लॉक नहीं की जाती है, तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी सीट आवंटन प्रक्रिया से स्वतः बाहर हो जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

तदनुसार कार्यालय की उक्त सूचना इस सीमा तक संशोधित समझी जाये।


कृते महानिदेशक।